आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2014–15

राज्य सरकार द्वारा आबकारी एवं मद्य–संयम नीति वर्ष 2014–15 निम्नानुसार निर्धारण की गई है:–

(1) **अवधि :–**

आगामी आबकारी बन्दोबस्त की अवधि एक वर्ष (दिनांक 1.4.2014 से 31.03.2015 तक) होगी।

(2) **बन्दोबस्त की प्रणाली :–**

वर्ष 2014–15 हेतु देशी मदिरा, भा.नि.वि. मदिरा/बीयर, भांग एवं डोडा पोस्त का बन्दोबस्त निम्न प्रणाली अनुसार किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

2.1 देशी मदिरा के अनुज्ञापत्र समूहवार एकाकी विशेषाधिकार प्रणाली पर आवंटित किये जायेंगे।

2.2 भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर के खुदरा अनुज्ञापत्र दुकानवार निश्चित वार्षिक लाईसेन्स फीस पर आवंटित किये जायेंगे।

2.3 भांग समूह का निविदायें आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा।

2.4 डोडा पोस्त के 24 संयुक्त समूहों हेतु निर्धारित अनुज्ञाराशि पर आवेदन आमंत्रित कर लॉटरी द्वारा बन्दोबस्त किया जायेगा।

(3) **देशी मदिरा :–**

3.1 **बन्दोबस्त की प्रकिया :–**

वर्ष 2014–15 हेतु निश्चित वार्षिक राशि पर नये आवेदन आमंत्रित कर बन्दोबस्त किया जायेगा। जिन समूहों हेतु एक से अधिक आवेदन प्राप्त होंगे, ऐसे समूहों के लिये पूर्व व्यवस्था अनुरूप जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के समक्ष लाटरी निकाली जाकर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक समूह से अधिक का आवंटन नही किया जायेगा।

3.2 **समूहों का गठन :–**

वर्तमान में 6602 देशी मदिरा दुकानों (डूंगरपुर एवं बांसवाड़ा जिलों की 58 दुकानों/समूहों को छोड़कर) के पंचायतवार/नगरपालिका वार्डवार समूह बनाये गये हैं। दुकानों की संख्या को यथावत रखा गया है। शहरी क्षेत्र की सीमा में वृद्धि, वार्ड की सीमाओं में परिवर्तन एवं वर्तमान में रिक्त वार्ड/ग्राम पंचायत को समूह के क्षेत्र में शामिल करने, जिले के भीतर ग्रामीण क्षेत्रों में एक से अधिक दुकानों वाले समूहों को तोड़कर रिक्त पंचायतों में नये समूहों का गठन एवं क्षेत्रवार मदिरा खपत की प्रवृति को दृष्टिगत करते हुये यथा सम्भव जनसंख्या के अनुपात में दुकानों के

वितरण हेतु देशी मदिरा समूहों का उपरोक्तानुसार पुर्नगठन आबकारी आयुक्त के स्तर पर किया जायेगा परन्तु देशी मदिरा की दुकानों की संख्या को यथावत (6660) रखा जायेगा।

3.3 आवेदन शुल्क :–

देशी मदिरा समूहों हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया गया है:–

श्रेणी	निर्धारित शुल्क
10 लाख तक की आरक्षित राशि वाले समूह	12,000/–
10 लाख से अधिक आरक्षित राशि वाले समूह	17,000/–

3.4 आरक्षित राशि :–

वर्ष 2014–15 की समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित किये जाने हेतु वर्ष 2013–14 की वार्षिक राशि में वर्ष 2013–14 के प्रथम 9 माह की एकाकी विशेषाधिकार राशि से अतिरिक्त उठाव की प्रतिशत वृद्धि को इसमें शामिल की जाकर, एनुलाईज कर इस राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि की जावेगी, परन्तु जिस समूह में वर्ष 2013–14 के प्रथम 9 माह मे निर्धारित राशि से अतिरिक्त उठाव नही हुआ है अथवा वास्तविक उठाव निर्धारित राशि से कम है तो ऐसे समूह की वर्ष 2014–15 की वार्षिक राशि की गणना वर्ष 2013–14 की वार्षिक राशि में 10 प्रतिशत की वृद्धि करके की जावेगी।

उदाहरण : (वास्तविक उठाव राशि निर्धारित राशि से अधिक होने पर)		
1.	समूह की वर्ष 2013–14 की वार्षिक राशि	रू. 10,000/–
2.	वार्षिक पूर्ति योग्य राशि	रू. 10,000/–
3.	9 माह की पूर्ति योग्य राशि	रू. 7,500/–
4.	9 माह में वास्तविक पूर्ति की गई राशि	रू. 8625/–
5.	प्रथम 9 माह में गारंटी राशि के विरूद्ध अधिक उठाव का प्रतिशत	$\frac{(8625 - 7500)}{7500} \times 100 = 15\%$
6.	अधिक उठाव की प्रतिशत बढ़ोतरी	15%
7.	वर्ष 2013–14 के अतिरिक्त उठाव के कारण की जाने वाली वृद्धि	रू. 10,000 x 115% = रू. 11,500/–
8.	इस राशि में 10 प्रतिशत की वार्षिक वृद्धि के बाद समूह की वर्ष 2014–15 की वार्षिक आरक्षित राशि	रू. 11500 x 110% = 12,650/–

देशी मदिरा समूहों के पुर्नगठन के मामलों में सम्बन्धित जिले के समूहवार 9 माह के अतिरिक्त उठाव की प्रतिशत वृद्धि को वर्ष 2013–14 की वार्षिक राशि में जोड़कर एवं जिन समूहों में अतिरिक्त उठाव नही है उनके वर्ष 2013–14 की वार्षिक राशि तथा इस प्रकार संगणित कुल राशि के योग में 10% की वृद्धि करके जिले की

वार्षिक राशि की गणना की जाकर विवेकीकरण के आधार पर समूहवार वार्षिक राशि निर्धारित की जाएगी। उपरोक्तानुसार एकाकी विशेषाधिकार राशि का अनुमोदन आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

3.5 अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि :–

3.5.1 वर्ष 2014–15 में सम्पूर्ण वार्षिक राशि का मदिरा उठाव में भराव दिया जायेगा।

3.5.2 वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित वार्षिक राशि की 12.50 प्रतिशत राशि अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि नकद राजकोष में जमा कराई जायेगी। यह राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के प्रारम्भ होने के पूर्व राजकोष में जमा करानी होगी।

3.5.3 यह 12.50 प्रतिशत अग्रिम एकाकी विशेषाधिकार राशि वित्तीय वर्ष 2014–15 के माह अक्टूबर से माह फरवरी तक प्रतिमाह 2 प्रतिशत राशि एवं माह मार्च में 2.5 प्रतिशत राशि निर्धारित मासिक गारण्टी पूर्ति के लिये मदिरा निर्गम के आबकारी शुल्क में समायोजन योग्य होगी।

3.6 धरोहर राशि :–

3.6.1 वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 12.50 प्रतिशत राशि धरोहर राशि के रूप में आवेदन आमंत्रण की शर्तो के अनुरूप नकद जमा की जायेगी।

3.7 देशी मदिरा की किस्मों का उत्पादन एवं आपूर्ति अनुपात :–

3.7.1 वर्ष 2014–15 में 40, 50 एवं 60 यू.पी. तेजी की मदिरा का उत्पादन एवं आपूर्ति निम्नानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है:–

3.7.1.1 उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा कुल आपूर्ति की न्यूनतम 35 प्रतिशत मदिरा 50 अथवा 60 यू.पी. का होना आवश्यक होगा ।

3.7.1.2 40, 50 एवं 60 यूपी की मदिरा की आपूर्ति पेट/ग्लास में की जा सकेगी।

3.7.1.3 विभिन्न जिलों में ग्लास पात्र में मदिरा की मांग के अनुरूप आपूर्ति नही होने की स्थिति में ग्लास पात्रों में देशी मदिरा की सप्लाई सुनिश्चित करने का दायित्व राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का होगा। इसके लिए आबकारी आयुक्त द्वारा निर्देशित करने पर उनके द्वारा निर्धारित प्रतिशत से अधिक ग्लास पात्र में आपूर्ति सुनिश्चित की जावेगी।

3.7.2 वर्ष 2014–15 में मदिरा आपूर्ति का अनुपात राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स का अधिकतम 45 प्रतिशत तथा निजी डिस्टलरीज एवं

बोटलिंग प्लांट का संयुक्त रूप से न्यूनतम 55 प्रतिशत होगा परन्तु इसमें से निजी बोटलिंग प्लांट का कम से कम 10 प्रतिशत हिस्सा रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.7.3 राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. संविदा आधारित भराई व्यवस्था के अन्तर्गत निजी बोटलर्स से देशी मदिरा भराई करवा सकेगा।

3.7.4 **देशी मदिरा का आयात :–**

वर्ष 2013–14 की व्यवस्था के अनुरूप ही यह निर्णय लिया गया है कि इस वर्ष के दौरान भी राज्य में देशी मदिरा की सप्लाई में कमी की स्थिति में राज्य सरकार राज्य के बाहर से भी देशी मदिरा के आयात की अनुमति प्रदान कर सकेगी ।

3.7.5 **देशी मदिरा उत्पादन में प्रयुक्त होने वाला प्रासव :–**

वर्तमान में राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स लि. एवं निजी क्षेत्र के बोटलर्स के द्वारा शोधित प्रासव का आयात अन्य राज्यों से किया जाता है। ग्रेन आधारित शोधित प्रासव एवं मोलासेस आधारित शोधित प्रासव के आयात का अनुपात वर्तमान में क्रमशः 60 प्रतिशत एवं 40 प्रतिशत अनुमत है। इस अनुपात को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.7.6 अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक माह की मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की 35 प्रतिशत गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव से किया जाना आवश्यक होगा। लेकिन एक माह में 50/60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति उक्त अनुपात में नही हो पाने से अनुज्ञाधारी उसी त्रैमास के अन्य माह/माहों में 50 एवं 60 यूपी की देशी मदिरा से गारन्टी पूर्ति इस प्रकार से सुनिश्चित करेगा कि उक्त त्रैमास के 3 माहों की मासिक एकाकी विशेषाधिकारी राशि के योग की 35 प्रतिशत की गारन्टी पूर्ति 50/60 यूपी की देशी मदिरा के उठाव के लिये जमा कराई गई आबकारी ड्यूटी से हो।

3.7.6.1 एक त्रैमास में इस अनुपात (35 प्रतिशत) से कम उठाव होने की स्थिति में अनुज्ञाधारी को 50/60 यूपी की देशी मदिरा की गारन्टी पूर्ति के लिये देय आबकारी शुल्क एवं वास्तविक रूप से 50/60 यूपी देशी मदिरा उठाव से गारन्टी पूर्ति के अन्तर की राशि नकद पृथक से जमा करवानी होगी। इस सम्बन्ध में विस्तृत निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.7.7 देशी मदिरा के अवैध व्यापार को हतोत्साहित किये जाने हेतु वर्ष 2014–15 के दौरान मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि की पूर्ति का 110 प्रतिशत से अधिक उठाव करने पर अनुज्ञाधारी द्वारा मासिक एकाकी विशेषाधिकार राशि के 110 प्रतिशत से अधिक उठाई गई मदिरा की मात्रा पर देय आबकारी शुल्क में 10 प्रतिशत छूट दी जायेगी।

3.7.8 मदिरा भराई के लिये उपयोग में लाई जाने वाली पेट बोतल की गुणवत्ता प्रमाणीकरण के विषय में आबकारी आयुक्त द्वारा जारी निर्देशों की पालना उत्पादनकर्त्ताओं द्वारा सुनिश्चित की जायें।

3.8 देशी मदिरा का थोक निर्गम मूल्य :–

3.8.1 वर्ष 2013–14 हेतु 40 यूपी, 50 यूपी एवं 60 यूपी देशी मदिरा के पव्वों के एक कार्टन का थोक विक्रय मूल्य क्रमशः रूपये 355/–, 330/– एवं 290/– निर्धारित है।

3.8.2 वर्ष 2014–15 हेतु देशी मदिरा की उक्त तीनों श्रेणियों की मदिरा का थोक निर्गम मूल्य निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है। थोक निर्गम मूल्य में थोक अनुज्ञाधारी का मार्जिन सम्मिलित है :–

क्र.सं.	देशी मदिरा (RS) की किस्म	पव्वों के प्रति कार्टन का निर्गम मूल्य (रूपये में)	
		ग्लास	पेट
1.	40 यू.पी.	375	355
2.	50 यू.पी.	–	336
3.	60 यू.पी.	–	296

3.8.3 मदिरा उत्पादन हेतु प्रयुक्त प्रासव, पात्र एवं अन्य विविध खर्च के पैरामीटर के आधार पर पव्वों के कार्टन के किये गये निर्गम मूल्य निर्धारण के अनुरूप ही अद्धा एवं बोतल के कार्टन के निर्गम मूल्य का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जावेगा एवं देशी मदिरा (RS) के निर्धारित मूल्य के आधार पर देशी मदिरा (ENA) के बोतल, अद्धा, पव्वा का मूल्य निर्धारण भी आबकारी आयुक्त द्वारा किया जा सकेगा।

3.8.4 40 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स लाल रंग के होंगे तथा लेबल्स पर सुस्पष्ट (Conspicuous) रूप से **'स्ट्रोंग मदिरा'** अंकित किया जायेगा। 50 एवं 60 यू.पी. देशी मदिरा पात्रों के ढक्कन एवं लेबल्स का नीला रंग रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

3.9 कम्पोजिट दुकान :–

3.9.1 राज्य के ग्रामीण क्षेत्र एवं "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) की देशी मदिरा की समस्त दुकानें कम्पोजिट श्रेणी की होगी। कम्पोजिट फीस की गणना निम्नलिखित प्रकिया के अनुसार की जायेगी । वर्ष 2014–15 के लिये कम्पोजिट दुकान की कम्पोजिट फीस को 31 मार्च 2014 तक जमा कराया जाना आवश्यक होगा।

3.9.1.1 राज्य में ग्रामीण क्षेत्र एवं चतुर्थ श्रेणी नगर पालिकाओं (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें निम्न श्रेणी की होगी :–

(i) **परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : नगर निगम/ नगरपरिषद/ द्वितीय एवं तृतीय श्रेणी की नगर पालिकायें एवं सागवाड़ा तथा रावतभाटा नगर पालिकाओं की सीमा से 5 किमी परिधि में स्थित गांवों में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें कहलायेगी।

(ii) **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें :** "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) में स्थित कम्पोजिट दुकानें चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानें कहलायेंगी।

(iii) **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें** : परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों के अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र में अवस्थित कम्पोजिट दुकानें ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें कहलायेगी।

3.9.2 परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

3.9.2.1 वर्ष 2014–15 में ऐसी दुकानें जो 3.9.1.1(i) के अनुसार परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानें मानी गई है से 5 किलोमीटर की परिधि में आने वाले गांवों में अवस्थित है, की कम्पोजिट फीस इस परिधि में स्थित गांवों को "अ" एवं "ब" दो श्रेणी में वर्गीकृत कर तद्नुसार वसूल की जायेगी ।

(i) **"अ" श्रेणी के गांव** – वे गांव जिनमें वर्ष 2005–2006 से वर्ष 2013–14 तक संचालित देशी मदिरा की दुकानें कम्पोजिट रही हो अथवा जिन गांवों में से होकर राज्य अथवा राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हों अथवा इन गांवों की सीमा नगरीय क्षेत्र की सीमा से लगती हुई हो।

(ii) **"ब" श्रेणी के गांव** – नगरीय क्षेत्र की 5 कि.मी. की परिधि में स्थित "अ" श्रेणी के गांवों के अतिरिक्त समस्त गांव "ब" श्रेणी के होंगे।

3.9.2.2 अनुज्ञाधारी द्वारा उसके समूह की दुकान को "अ" श्रेणी के गांवों में संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उसके समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि. मदिरा की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग के बराबर) अथवा उस दुकान/समूह की वर्ष 2013–14 की आर.

एस.बी.सी.एल की एनुलाईज्ड बिंलिंग राशि का 3.5 प्रतिशत में से, जो भी अधिक हो, देय होगी। इस दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

"ब" श्रेणी के गांव की सीमा में दुकान संचालित किये जाने पर कम्पोजिट फीस उस दुकान/समूह की वर्ष 2013–14 की आर. एस.बी.सी.एल. की एनुलाईज्ड बिंलिंग राशि का 3.5 प्रतिशत अथवा समीपस्थ नगरीय क्षेत्र की भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान की लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" के योग) का 50 प्रतिशत अथवा रू. 40,000 में से जो भी अधिक हो, देय होगी। इस दुकान के लिये भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर देय "स्पेशल वेण्ड फीस" का भराव उस दुकान की कम्पोजिट फीस के 50 प्रतिशत की सीमा तक देय होगा एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

3.9.2.3 वर्ष के दौरान परिधिय क्षेत्र की "अ" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान को अनुज्ञाधारी "ब" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराना चाहे तो कम्पोजिट फीस वापसी योग्य (refund) नही होगी, परन्तु "ब" श्रेणी के गांव में संचालित दुकान "अ" श्रेणी के गांव में स्थानान्तरित कराये जाने पर "अ" व "ब" श्रेणी की कम्पोजिट फीस के अन्तर की राशि जमा करानी होगी।

3.9.3 **चतुर्थ श्रेणी नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों** की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–

(i) वर्ष 2014–15 हेतु "चतुर्थ श्रेणी" की नगर पालिका क्षेत्रों (सागवाड़ा एवं रावतभाटा नगर पालिकाओं को छोड़कर) में स्थित देशी मदिरा दुकानों की कम्पोजिट फीस की गणना निम्न प्रक्रिया अनुसार की जावेगी :–

(क) सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2013–14 में संचालित समस्त भा.नि.वि. मदिरा/बीयर की दुकान/दुकानों की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) की कुल एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 3.5 प्रतिशत

(ख) सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र में वर्ष 2013–14 में संचालित समस्त भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकान/दुकानों की वर्ष 2013–14 की कुल वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" का योग) के बराबर।

(ग) उपरोक्त बिन्दू संख्या 3.9.3 (i) (क) एवं 3.9.3 (i) (ख) में गणना की गई राशि में जो भी अधिक हो उस राशि को सम्बन्धित नगर पालिका क्षेत्र के सभी देशी मदिरा दुकानों में समान रूप से विभाजित कर प्रत्येक देशी मदिरा दुकान की कम्पोजिट फीस निर्धारित की जायेगी।

(ii) वर्ष 2014–15 में "चतुर्थ श्रेणी" नगर पालिका की देशी मदिरा कम्पोजिट दुकानों की जमा पूरी कम्पोजिट फीस भा.नि.वि.म./ बीयर के लिये निर्धारित "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर "स्पेशल वेण्ड फीस" पृथक से देय होगी।

3.9.4 **ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस का निर्धारण :–**

(i) वर्ष 2014–15 हेतु ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की कम्पोजिट फीस वर्ष 2013–14 की भा.नि.वि.म. एवं बीयर की राजस्थान राज्य ब्रेवरेज कारपोरेशन लिमिटेड (आर.एस.बी.सी.एल.) डिपो की एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि (Annualised Billing Amount) का 3.5 प्रतिशत अथवा वर्ष 2013–14 हेतु निर्धारित कम्पोजिट फीस अथवा रू. 40,000 में से जो भी अधिक हो, निर्धारित की जावेगी।

(ii) वर्ष 2014–15 में ग्रामीण क्षेत्र के किसी समूह में एक से अधिक कम्पोजिट दुकानें होने पर आर.एस.बी.सी.एल से भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर की वर्ष 2013–14 की सभी कम्पोजिट दुकानों की कुल एनुएलाईज्ड बिलिंग राशि को समान रूप से प्रति कम्पोजिट दुकान विभाजित किया जाकर वर्ष 2014–15 हेतु कम्पोजिट राशि निर्धारित की जायेगी।

(iii) वर्ष 2014–15 में ग्रामीण क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों की जमा पूरी कम्पोजिट फीस भा.नि.वि.म./बीयर के लिये निर्धारित "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे समायोजन योग्य होगी एवं इस राशि के समाप्त होने पर स्पेशल वेण्ड फीस पृथक से देय होगी।

3.9.5 **एन्युलाईज्ड बिलिंग राशि** (Annualised Billing Amount) **की गणना निम्नानुसार की जायेगी :–**

किसी भी समूह के अनुज्ञाधारी द्वारा उस समूह की कम्पोजिट दुकानों के लिये मदिरा एवं बीयर के क्रय हेतु आर.एस.बी.सी.एल. को वित्तीय वर्ष 2013–14 के प्रथम 9 माह में समूह की उन सभी कम्पोजिट दुकानों द्वारा कुल अदा की गई राशि (Including all levies,VAT and SVF) को (4/3) के फेक्टर से गुणा कर अनुएलाईज्ड बिलिंग राशि की गणना की जायेगी।

3.10 प्रत्येक जिले में भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि की 20 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले कम्पोजिट समूहों (परिधिय क्षेत्र की कम्पोजिट दुकानों को छोड़कर) के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा बिन्दू संख्या 3.9.2, 3.9.3 एवं 3.9.4 के अन्तर्गत जमा कराई गई न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस की 5 प्रतिशत राशि के बराबर त्रैमासिक "अतिरिक्त स्पेशल वेण्ड फीस" आरोपित की जायेगी। उक्त कम उठाव वाली दुकानों की गणना दुकानवार प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। एक त्रैमास में जमा "अतिरिक्त स्पेशल वेण्ड फीस" का समायोजन स्पेशल वेण्ड फीस के पेटे उसी वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

3.11 डूंगरपुर–बांसवाड़ा जिलों में देशी मदिरा का विक्रय :–

इन जिलों में देशी मदिरा विक्रय राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स द्वारा स्वयं अथवा राजस्थान के जनजाति उपयोजना क्षेत्र (TSP) के निवासी जनजाति फ्रेन्चाईजियों के माध्यम से किया जायेगा।

(4) भारत निर्मित विदेशी मदिरा :

4.1 बन्दोबस्त प्रकिया :–

वर्ष 2014–15 के लिये आवेदन आमंत्रित कर भा.नि.वि.म./बीयर की दुकानों का बन्दोबस्त किया जायेगा। एक से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर पूर्व की भांति जिला कलक्टर के अध्यक्षता में गठित समिति द्वारा लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। एक व्यक्ति को एक से अधिक दुकान का आवंटन नही किया जायेगा।

4.2 दुकानों की संख्या :–

नगरीय क्षेत्रों के लिये भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानों की निर्धारित संख्या 1000 ही रखी जायेगी। "चतुर्थ श्रेणी" की नगरपालिका क्षेत्रों (सागवाड़ एवं रावतभाटा को छोड़कर) में पृथक से भारत निर्मित विदेशी मदिरा/बीयर की दुकानें नही संचालित होंगी।

4.2.1 चतुर्थ श्रेणी की नगर पालिकाओं (सागवाड़ा एवं रावतभाटा को छोड़कर) में देशी मदिरा की दुकानें कम्पोजिट करने का निर्णय लिया गया है । अतः उक्त नगर पालिकाओं में स्थित 112 भा.नि.वि.मदिरा/बीयर दुकानों को अन्य उच्च श्रेणी की नगर पालिकाओं के नवगठित वार्ड या रिक्त क्षेत्रों में स्थानान्तरित किया जाकर, इन प्रत्येक नगरीय क्षेत्रों में दुकानों की संख्या का पुनर्निधारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

4.3 आवेदन शुल्क :–

वर्ष 2014–15 हेतु आवेदन शुल्क, वर्ष 2014–15 हेतु निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस (बेसिक लाईसेन्स फीस एवं न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस के योग) का 1% होगा।

4.4 लाईसेन्स फीस :–

4.4.1 वर्ष 2014–15 हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस श्रेणीवार निम्न प्रकार निर्धारित की जाती है:–

(राशि लाख रूपये में)

क्र. सं.	श्रेणी	वर्ष 2013–14 में वार्षिक लाईसेन्स फीस	वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित वार्षिक लाईसेन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1.	जयपुर एवं जोधपुर	13.50	8.00	8.00	16.00
2.	अन्य सम्भागीय मुख्यालय, माउण्ट आबू व जैसलमेर	11.00	6.50	6.50	13.00
3.	जिला मुख्यालय अलवर, सीकर, भीलवाड़ा, पाली, गंगानगर	7.50	5.00	5.00	10.00
4.	अन्य जिला मुख्यालय	7.50	4.20	4.20	8.40
5.	अन्य नगरपालिकाएँ एवं सागवाड़ तथा रावतभाटा ("चतुर्थ श्रेणी" की अन्य नगर पालिकाओं को छोड़कर)	6.00	3.50	3.50	7.00

4.5 न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस :–

वर्ष 2014–15 के लिये क्रमशः बिन्दु संख्या 4.4.1 में अंकित विभिन्न श्रेणियों के अनुज्ञाधारियों द्वारा सम्बन्धित वर्ष में भुगतान की गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की राशि, भा.नि.वि.मदिरा/बीयर के लिये निर्धारित प्रति बल्क लीटर "स्पेशल वेण्ड" फीस के पेटे (जो कि अनुज्ञाधारी द्वारा देय है) सम्बन्धित वर्ष में ही समायोजित की जायेगी। सम्बन्धित वर्ष में उक्त समायोजन के पश्चात अनुज्ञाधारी को भा.नि.वि. मदिरा/बीयर के निर्गम पर निर्धारित दर से स्पेशल वेण्ड फीस अलग से जमा करवानी होगी।

4.6 प्रत्येक जिले में भा.नि.वि.मदिरा एवं बीयर के त्रैमासिक उठाव की औसत वृद्धि की 20 प्रतिशत से कम वृद्धि देने वाले भा.नि.वि.मदिरा/बीयर रिटेल ऑफ की दुकान एवं परिधिय क्षेत्र के कम्पोजिट दुकान के अनुज्ञाधारियों पर उनके द्वारा बिन्दू संख्या 4.4.1 तथा 3.9.2 के अन्तर्गत जमा कराई गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की 5 प्रतिशत राशि के बराबर त्रैमासिक "अतिरिक्त स्पेशल वेण्ड फीस" आरोपित की जायेगी। उक्त कम उठाव की गणना प्रत्येक त्रैमास के पश्चात् की जायेगी। एक त्रैमास में जमा "अतिरिक्त स्पेशल वेण्ड फीस" का समायोजन "स्पेशल वेण्ड फीस" के पेटे उसी वित्तीय वर्ष की आगामी अवधि में दिया जा सकेगा। इस हेतु विस्तृत प्रकिया एवं निर्देश आबकारी आयुक्त द्वारा जारी किये जायेंगे।

4.7 भा.नि.वि. मदिरा/बीयर पर आबकारी शुल्क में संशोधनः–

4.7.1 भा.नि.वि. मदिरा :–

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	आबकारी शुल्क की निर्धारित दर 2014–15
Upto रू. 500 तक	रू. 170/– प्रति प्रुफ लीटर रू. 90+(0.2 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 104+(0.2 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर रू. परन्तु न्यूनतम 180/–प्रति प्रुफ लीटर
रू. 500 से अधिक एवं 600 तक	रू. 210/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 164+(0.10 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 600 से अधिक एवं 900 तक	रू. 250/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 220+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 900 से अधिक एवं 1500 तक	रू 280/– प्रति प्रुफ लीटर	कोई परिवर्तन नही
रू. 1500 से अधिक एवं 3000 तक	रू. 350/– प्रति प्रुफ लीटर	कोई परिवर्तन नही
रू. 3000 से अधिक एवं 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर	कोई परिवर्तन नही
रू.8000 से अधिक एवं 10000 तक	43 प्रतिशत एड–वेलोरम	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति एल.पी.एल.,जो भी अधिक हो।
रू.10000 से अधिक एवं 25000 तक	43 प्रतिशत एड–वेलोरम	40 प्रतिशत एड–वेलोरम
रू.25000 से अधिक एवं 50000 तक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	45 प्रतिशत एड–वेलोरम
रू.50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	50 प्रतिशत एड–वेलोरम

आबकारी शुल्क की अन्य दरें यथावत रहेंगी।

4.7.2 बीयर/आयातित बीयर :

बीयर पर वर्तमान में लागू आबकारी शुल्क 140% एड–वोलेरम एक्स ब्रेवरी प्राइस (including export fee, incremental overheads and CST but excluding any other amount) के स्थान पर 146% एड–वोलेरम एक्स ब्रेवरी प्राइस (including export fee, incremental overheads and CST but excluding any other amount) संशोधित किया जाता है। बीयर के अनुरूप अन्य देशों से आयातित बीयर पर 146% एड–वोलेरम की थोक लाईसेन्स फीस आरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

4.7.3 **वाइन, रेडी–टू–ड्रिंक ब्रिवरेज पर आबकारी शुल्क :**

वाइन एवं रेडी–टू–ड्रिंक पर वर्तमान में लागू आबकारी शुल्क दरें यथावत होंगी।

4.8 आयातित विदेशी मदिरा, वाईन एवं आर.टी.डी. (Bottled in Origin) :

4.8.1 वर्तमान में राजस्थान राज्य में आपूर्तिकर्त्ता द्वारा घोषित बेसिक मूल्य (Quoted Basic Price) पर कस्टम ड्यूटी एवं केन्द्रीय ब्रिकी कर (CST) जोड़कर निकाली गई राशि पर होलसेल ट्रेड लाईसेन्स फीस आरोपित की जाती है। इससे आयातित मदिरा की कीमत पड़ौसी राज्यों की तुलना में काफी अधिक राशि में निर्धारित होती है, जिससे अन्य राज्यों से आयातित विदेशी मदिरा अवैध रूप से राज्य में लाई जाने की सम्भावनायें रहती हैं ।

अतः इसे अन्य राज्यों के समतुल्य किये जाने हेतु बेसिक मूल्य (कस्टम ड्यूटी एवं केन्द्रीय ब्रिकी कर की राशि को छोड़कर) पर होलसेल ट्रेड लाईसेन्स फीस आरोपित किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके साथ ही होलसेल ट्रेड लाईसेन्स फीस को निम्नानुसार संशोधन किया जाता है:–

एक्स डिस्टलरी मूल्य	आबकारी शुल्क की वर्तमान दर	आबकारी शुल्क की निर्धारित दर 2014–15
Upto रू. 500 तक	रू. 170/– प्रति प्रुफ लीटर रू. 90+(0.2 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर	रू. 104+(0.2 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर रू. परन्तु न्यूनतम 180/–प्रति प्रूफ लीटर
रू. 500 से अधिक एवं 600 तक	रू. 210/– प्रति प्रुफ लीटर.	रू. 164+(0.10 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रुफ लीटर
रू. 600 से अधिक एवं 900 तक	रू. 250/– प्रति प्रुफ लीटर	रू. 220+(0.05 x एक्स डिस्टलरी मूल्य) प्रति प्रूफ लीटर
रू. 900 से अधिक एवं 1500 तक	रू. 280/– प्रति प्रुफ लीटर	कोई परिवर्तन नही
रू. 1500 से अधिक एवं 3000 तक	रू. 350/– प्रति प्रुफ लीटर	कोई परिवर्तन नही
रू. 3000 से अधिक एवं 8000 तक	रू. 500/– प्रति प्रुफ लीटर	कोई परिवर्तन नही
रू.8000 से अधिक एवं 10000 तक	43 प्रतिशत एड–वेलोरम	35 प्रतिशत एड–वेलोरम अथवा रू. 500/– प्रति प्रूफ लीटर ,जो भी अधिक हो।
रू.10000 से अधिक एवं 25000 तक	43 प्रतिशत एड–वेलोरम	40 प्रतिशत एड–वेलोरम
रू.25000 से अधिक एवं 50000 तक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	45 प्रतिशत एड–वेलोरम
रू.50000 से अधिक	50 प्रतिशत एड–वेलोरम	50 प्रतिशत एड–वेलोरम
आयातित वाईन एवं आर. टी.डी.	–	40 प्रतिशत एड–वेलोरम

4.8.2 आपूर्तिकर्त्ता द्वारा आपूर्ति किये जाने वाले ब्राण्ड की कम्पनी द्वारा अधिकृत होने पर ही उनसे उक्त ब्राण्ड की आपूर्ति ली जा सकेगी।

4.8.3 आयातित ब्राण्ड के विदेशी मदिरा, बीयर एवं आयातित वाईन/आर.टी.डी. की लेबल अनुमोदन फीस रूपये 50000/– प्रति लेबल निर्धारित किये जाने का निर्णय लिया गया है।

(5) रिटेल ऑन (Retail-on) : होटल/क्लब/रेस्टोरेण्ट बार :–

वर्ष 2014–15 के लिये होटल/क्लब/रेस्टोरेंन्ट बार के लिये लाईसेन्स फीस (हैरिटेज को छोड़कर) को यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अतिरिक्त होटल/क्लब/रेस्टोरेन्ट के लिये न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस का प्रावधान भी यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है। यह न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस होटल/क्लब/रेस्टोरेन्ट द्वारा भा.नि.वि.मदिरा/बीयर पर देय स्पेशल वेण्ड फीस में समायोजन योग्य होगी।

5.1 विभिन्न श्रेणी की होटलों /लग्जरी ट्रेन के बार लाईसेन्स हेतु वर्ष 2014–15 के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

5.1.1 सितारा होटल / लग्जरी ट्रेन :

वर्ष 2014–15 में सितारा होटलों, लग्जरी ट्रेनों के लिये लाईसेन्स फीस यथावत रहेगी।

5.1.2 हैरिटेज होटल :

इस श्रेणी के बार लाइसेन्स के लिये लाईसेन्स फीस निम्नानुसार निर्धारित की जाती है :–

(राशि लाख रूपये में)

क.सं.	श्रेणी	लाईसेन्स फीस वर्ष 2013–14	वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित लाईसन्स फीस		
			बेसिक लाईसेन्स फीस	न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस	कॉलम नं.4 एवं 5 का योग
1	2	3	4	5	6
1	हैरिटेज – अ	8.25	4.00	0.25	4.25
2	हैरिटेज – ब	5.25	1.50	0.25	1.75
3	हैरिटेज – स	3.25	0.75	0.25	1.00

5.1.3 अन्य होटल :

अन्य श्रेणी के होटलों के बार लाईसेन्स हेतु वार्षिक लाईसेन्स फीस यथावत रखी जाती है ।

5.2 इस नीति के प्रभावी होने की तिथी से होटल बार के लिये नवीन अनुज्ञापत्र जारी करने के लिये निम्न अतिरिक्त शर्ते निर्धारित की जाती है :–

(i) होटल के भूखण्ड का न्यूनतम क्षेत्रफल एवं उस रोड़ की चौड़ाई, जिस पर होटल अवस्थित है, सम्बन्धित स्थानीय नगरीय निकाय के उपविधियों (Bye-laws) के प्रावधानों के अनुसार होना आवश्यक होगा।

(ii) होटल की स्वयं की पार्किंग अथवा किराये पर ली गई पार्किंग का क्षेत्रफल होटल के कमरों के कुल क्षेत्रफल के समतुल्य एवं होटल के 100 मीटर की परिधि में होना आवश्यक होगा।

शेष शर्ते पूर्वानुसार यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5.3 रेस्टोरेन्ट बार :

विभिन्न श्रेणी के रेस्टोरेंन्टस् के बार लाईसेन्स हेतु वर्ष 2014–15 के लिये लाईसेन्स फीस यथावत रहेंगी।

5.3.1 नवीन रेस्टोरेन्ट बार के लाईसेन्स स्वीकृति हेतु शर्तो में निम्नानुसार संशोधन किया जाता है :–

आबकारी नीति वर्ष 2011–12 में रेस्टोरेन्ट बार अनुज्ञप्ति स्वीकृति हेतु रेस्टोरेन्ट का न्यूनतम वार्षिक टर्नओवर 15 लाख रूपये तथा इसमें से "कुक्ड फुड" (cooked food) की कुल बिलिंग राशि न्यूनतम 10 लाख रूपये अनिवार्य किया गया था। इसके स्थान पर अब न्यूनतम वार्षिक टर्न ओवर 10 लाख रूपये तथा इसमें से "कुक्ड फुड" (cooked food) की कुल बिलिंग राशि न्यूनतम 5 लाख रूपये ही अनिवार्य होगी, जो वेट रिर्टन के आधार पर प्रमाणित होना आवश्यक है, परन्तु नवीन स्थापित रेस्टोरेन्ट पर यह शर्त प्रथम दो वर्ष के दौरान लागू नही होगी।

5.3.2 लाईसेन्स फीस एवं स्वीकृति की अन्य शर्ते पूर्वानुसार रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

5.4 क्लब बार :–

5.4.1 वर्ष 2011–12 की आबकारी नीति में क्लब बार अनुज्ञापत्रों का वर्गीकरण सिविल क्लब एवं व्यवसायिक क्लब के रूप में किया जाकर इनके लिये अलग–अलग लाईसेन्स फीस निर्धारित की गई थी । उक्त दोनों श्रेणियॉ एवं उनके लिये निर्धारित लाईसेन्स फीस यथावत रहेगी परन्तु उपरोक्त दोनों श्रेणियों की परिभाषा को निम्नानुसार संशोधित किया जाता है :–

सिविल क्लब :– सिविल क्लब से अभिप्रेत ऐसे व्यक्तियों की समिति से है जो सामाजिक एवं मनोरंजन संसर्ग के लिये या अन्य किसी सम्बन्धित प्रयोजन के लिये संगठित है एवं लाभ अर्जित करने के लिये नही है तथा जो सोसाइटियों के पंजीकरण से सम्बन्धित या इस सम्बन्ध में प्रभावी अन्य किसी कानून के तहत पंजीकृत है अथवा जिसे राज्य सरकार द्वारा किसी विशेष आदेश द्वारा पंजीकरण से उन्मुक्ति प्रदान की गई हो।

ऐसे क्लब के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होगी एवं क्लब परिसर में निम्न में से 4 सुविधाओं का होना अनिवार्य होगा :–

(i) स्वीमिंग पूल,
(ii) जिम (Gym.),
(iii) बेडमिन्टन हॉल/स्क्वैश कोर्ट
(iv) बिलियर्ड्स/पूल टेबल
(v) कार्ड रूम,
(vi) लॉन टेनिस कोर्ट

व्यावसायिक क्लब :– व्यावसायिक क्लब से अभिप्रेत ऐसे किसी कम्पनी, फर्म एवं व्यक्तियों की संस्था अथवा किसी अन्य प्रतिष्ठान से है जो व्यवसाय एवं मनोरंजन के उद्देश्यों के लिये संचालित है तथा ऐसे क्लब के सदस्यों की न्यूनतम संख्या 100 होगी एवं क्लब परिसर में बिन्दू संख्या 5.4.1 में वर्णित समस्त (6) सुविधाओं का होना अनिवार्य होगा।

5.4.2 वर्तमान में स्वीकृत क्लब बार अनुज्ञापत्र (सिविल क्लब/व्यावसायिक क्लब) का नवीनीकरण उपरोक्त सारणी के अनुसार संबंधित क्लब श्रेणी में किया जावेगा एवं वर्तमान अनुज्ञाधारियों को बिन्दू संख्या 5.4.1 में अंकित शर्तो को पूरा करने के लिये एक वर्ष की समयावधि प्रदान की जाती है।

5.5 मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल एवं अन्य व्यावसायिक स्थलों के लिये ऑकेजनल लाईसेन्स फीस में संशोधन :

मैरिज गार्डन/मैरिज हॉल एवं अन्य व्यावसायिक स्थलों पर समारोह आदि में मदिरा परोसने हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रूपये 5000/– से संशोधित कर रूपये 25000/– किया जाता है।

ऐसे पंजीकृत स्थलों के लिये ऑकेजनल लाईसेन्स फीस व्यावसायिक स्थल पर स्वीकृत बार से क्रय कर मदिरा परोसने पर निर्धारित फीस रूपये 5000/– से बढाकर रूपये 10000/– एवं समारोह आयोजक द्वारा स्वयं मदिरा रिटेल ऑफ दुकान से क्रय कर परोसे जाने पर फीस रूपये 1000/– से बढ़ाकर रूपये 2000/– की जाती है।

5.6 रिटेल ऑन (Retail-on) अनुज्ञाधारी द्वारा भा.नि.वि. मदिरा/बीयर निर्गम पर निर्धारित स्पेशल वेण्ड फीस देय होगी। यह "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी द्वारा जमा कराई गई "न्यूनतम स्पेशल वेण्ड फीस" की सीमा तक समायोजन योग्य होगी। इसके बाद मदिरा/बीयर निर्गम पर "स्पेशल वेण्ड फीस" रिटेल ऑन अनुज्ञाधारी को पृथक से जमा करानी होगी।

(6) भांग :–

6.1 बन्दोबस्त प्रकिया :

वर्ष 2014–15 के लिये भांग समूहों का बन्दोबस्त निविदायें आमंत्रित कर किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.2 समूहों की संख्या :

भांग दुकानों के 29 समूहों का निर्धारण किया जाकर बन्दोबस्त किया जायेगा। समूह का बन्दोबस्त किये जाने के पूर्व समूह की आरक्षित राशि को ध्यान में रखते हुये प्रत्येक समूह के अर्न्तगत आने वाली दुकानों (राज्य में कुल दुकानों की संख्या को यथावत रखते हुये) का विवेकीकरण आबकारी आयुक्त द्वारा किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.3 आरक्षित राशि का निर्धारण :

वर्ष 2013–14 की अनुज्ञा राशि में 10 प्रतिशत राशि जोड़कर वर्ष 2014–15 की आरक्षित राशि का निर्धारण किये जाने का निर्णय लिया गया है।

6.4 भांग समूहों के बन्दोबस्त के सम्बन्ध में अन्य प्रावधान पूर्व वर्षो की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(7) डोडा पोस्त :–

7.1 बन्दोबस्त प्रक्रिया :–

वर्ष 2014–15 के लिये निर्धारित वार्षिक आरक्षित राशि पर 24 उपभोग क्षेत्र एवं उसके समकक्ष ही 24 उत्पादन क्षेत्रों के डोडा पोस्त संयुक्त समूहों के एक साथ आवंटन हेतु जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित समिति के द्वारा प्राप्त आवेदन पत्रों की लाटरी निकाल कर सफल आवेदक का चयन किया जायेगा। इस प्रकिया में उत्पादन क्षेत्रों के समूह हेतु पृथक से लॉटरी नही की जायेगी। उत्पादन क्षेत्र को सम्बन्धित उपभोग क्षेत्र के साथ ही जोड़कर आवंटित किया जायेगा। उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र को एक समूह में सम्बन्धित कर समूह का निर्धारण आबकारी आयुक्त द्वारा किया जायेगा।

उपभोग क्षेत्र के आधार पर लाटरी निकालने वाले जिलों का निर्धारण आबकारी आयुक्त स्तर से किया जावेगा, जिसकी सूचना संबंधित जिला कलेक्टर को पूर्व निर्धारित समयानुसार प्रेषित की जावेगी।

7.2 समूहों की संख्या :–

वर्ष 2014–15 के लिये डोडा पोस्त उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र के 24 संयुक्त समूहों का गठन किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.3 आवेदन शुल्क :–

उत्पादन एवं उपभोग क्षेत्र के संयुक्त समूहों के आवेदन हेतु आवेदन शुल्क निम्नानुसार निर्धारित किया जाता है :–

10 तक खुदरा दुकानों वाले समूह हेतु	रू. 10,000/–
10 से अधिक खुदरा दुकानों वाले समूह हेतु	रू. 20,000/–

एक व्यक्ति को उपभोग एवं उत्पादन क्षेत्र हेतु निर्धारित संयुक्त समूह में से एक से अधिक समूह का आवंटन नही किया जायेगा ।

7.4 कृषकों से डोडा पोस्त का खरीद मूल्य :–

वर्ष 2014–15 के लिये डोडा पोस्त खरीद हेतु कृषको को देय खरीद मूल्य रू.125 प्रति किलोग्राम यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

7.5 डोडा पोस्त का अधिकतम विक्रय मूल्य :–

डोडा पोस्त का निर्धारित अधिकतम खुदरा विक्रय मूल्य रूपये 500 प्रति किलोग्राम यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

7.6 आरक्षित राशि का निर्धारण :–

उक्त संयुक्त समूहों के लिये समुचित आरक्षित राशि का निर्धारण आबकारी आयुक्त के स्तर से किये जाने का निर्णय लिया गया है।

7.7 राज्य में डोडा पोस्त की कुल मांग तथा डोडा पोस्त उत्पादन वाले जिलों में कुल कितनी आरी में अफीम की काश्त की गई है, इसके आधार पर उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी द्वारा प्रत्येक काश्तकार से प्रति आरी कितना डोडा पोस्त क्रय किया जाना आवश्यक होगा, का निर्धारण राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा । उत्पादन क्षेत्र के अनुज्ञाधारी को इस प्रकार नियमान्तर्गत अफीम के प्रत्येक काश्तकार एवं प्रत्येक गांव से उक्त निर्धारित मात्रा के अनुरूप डोडा–पोस्त क्रय करना आवश्यक होगा।

(8) लाइसेंस फीस व अन्य फीस

8.1 आयात फीस (Bringing into) **एवं निर्यात फीस** (Sending out) **तथा अन्य फीस का निर्धारणः–**

लाइसेंस फीस व अन्य आयात एवं निर्यात फीस को पूर्व की भांति यथावत रखे जाने का निर्णय लिया गया है।

(9) बन्दोबस्त से शेष रही दुकानों को आबकारी आयुक्त द्वारा आवश्यकता होने पर अन्य जिले में स्थानान्तरित किया जावेगा अथवा राजस्थान राज्य गंगानगर शुगर मिल्स के द्वारा संचालित करवाया जायेगा ।

(10) मद्य संयम के सम्बन्ध में नीतिगत निर्देश :

(i) **दुकानें खोलने का समय** : अनुज्ञापत्र प्राप्त रिटेल ऑफ (Retail-off) दुकानें खुलने (10 बजे प्रातः) व बन्द (रात्रि 8 बजे) होने के समय की कठोरता से पालना सुनिश्चित की जायेगी।

(ii) **मदिरा उपभोग प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों पर कार्यवाहीः** मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के उपयोग को प्रोत्साहित करने वाले विज्ञापनों आदि के विरूद्ध प्रचलित कानूनी प्रावधानों के अनुसार कार्यवाही की जायेगी। मदिरा/बीयर पीने की

ओर लोगो विशेषकर युवाओं को आकर्षित/लालायित करने हेतु लगाये गये प्रचार विज्ञापनों बोर्ड आदि को हटाया जायेगा।

(iii) **मदिरा बोतलों पर सुस्पष्ट चेतावनी का अंकन** : मदिरा के प्रत्येक पात्र पर लिखी जाने वाली चेतावनी "मदिरा सेवन स्वास्थ्य के लिये हानिकारक हैं" का लेबल पर एक निर्धारित साइज में सुस्पष्ट वैधानिक चेतावनी का उल्लेख किया जायेगा।

(iv) **कम तेजी की देशी मदिरा के विक्रय की व्यवस्था** :देशी मदिरा की कम तेजी वाली किस्मों 50/60 यूपी का कुल देशी मदिरा आपूर्ति में प्रतिशत बढ़ाया जायेगा।

(v) **अवयस्क व्यक्तियों को नशीले पदार्थो की बिक्री पर रोक के प्रयास** : 18 वर्ष से कम आयु के युवा वर्ग को नशीले पदार्थो की बिक्री न हो, इस दिशा में और अधिक प्रयास किये जायेंगे।

(vi) **दुकानों पर निर्धारित सूचना के अलावा विज्ञापन प्रदर्शित करने पर रोक** : दुकानों पर अनुज्ञाधारी का नाम, लाइसेन्स नम्बर, अवधि व मूल्य सूची के अलावा अन्य किसी प्रकार के विज्ञापन प्रदर्शित करनें की अनुमति नही दी जायेगी।

(vii) **नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में व्यापक प्रचार प्रसार** : नशे के दुष्प्रभावों के संबंध में आमजन को जानकारी दिये जाने हेतु एवं जागरूकता लाने हेतु आई.ई.सी. गतिविधियां संचालित की जायेगी, जिसमें मुख्यतः दूरदर्शन, समाचार पत्रों एवं सार्वजनिक स्थानों पर बोर्ड लगाकर नशे के कुप्रभावों के बारे में प्रचार–प्रसार किया जायेगा है। इस हेतु राज्य को प्राप्त होने वाले आबकारी राजस्व का 0.1% भाग (न्यूनतम 10 करोड़ रूपये) आरक्षित कर इससे शराब सेवन से होने वाली हानियों/दुस्प्रभावों के सम्बन्ध में जन सामान्य को शिक्षित एवं जागरूक किये जाने हेतु प्रभावी जन जागरण अभियान चलाया जायेगा। आवश्यकतानुसार उक्त आरक्षित राशि का उपयोग मद्यसंयम प्रयोजनार्थ चिकित्सकीय/जॉच उपकरणों पर भी व्यय किया जायेगा।

(viii) **ग्राम /वार्ड में दुकानों को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में निर्णय** :– यदि किसी गांव / वार्ड के 20 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा उनके गांव/ वार्ड में स्थित मदिरा की दुकान को बन्द करने के लिये मांग की जाती है तो ऐसे आवेदन को सक्षम स्तर पर सत्यापित किया जाकर उस गांव/ वार्ड में दुकान बन्द करने के प्रस्ताव पर मतदान कराया जायेगा एवं यदि उक्त प्रस्ताव 51 प्रतिशत मतदाताओं द्वारा पक्ष में मतदान किया जाता है तो उस दुकान को आगामी वित्तीय वर्ष से उस गांव में संचालित नही किये जाने का प्रावधान किया जाकर The Rajasthan (closure of Country Liquor shop by Local Option) Rules 1975 के नियम 3 व 4 में संशोधन किया जायेगा।

(ix) **देशी मदिरा दुकानों में अहाता स्वीकृति पर रोक** :– वर्तमान में देशी मदिरा के दुकान हेतु राजस्थान आबकारी नियम 1956 की धारा 69–सी में आहाता स्वीकृति का प्रावधान है। इस प्रावधान को राजस्थान आबकारी नियम 1956 की धारा 69–सी में संशोधन कर समाप्त किया जायेगा।

(x) **सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन पर जुर्माना** : सार्वजनिक स्थलों पर मद्य सेवन किये हुये अथवा करते हुये पाये जाने पर वर्तमान में रू. 50 के जुर्माने का प्रावधान है उक्त धारा को संशोधित कर यह जुर्माना प्रथम उल्लघंन पर रू.500 एवं पश्चातवर्ती प्रत्येक उल्लघंन पर रू.1000 किये जाने का निर्णय लिया गया है। इस हेतु पुलिस एक्ट में संशोधन हेतु प्रस्ताव गृह विभाग को भिजवाया जायेगा।

(xi) समीपवर्ती राज्यों हरियाणा एवं पंजाब की सीमाओं से राजस्थान राज्य में अवैध रूप से आने वाले मदिरा पर प्रभावी नियंत्रण हेतु वर्ष भर के लिये निम्न बिन्दुओं को ध्यान में रख कर कार्य योजना बनाई जाकर लागू की जायेगी :–

a. बॉर्डर जिलों की पुलिस के साथ समन्वय करते हुये संयुक्त जांच दलों का गठन किया जायेगा।

b. इस तरह की गतिविधियों में लिप्त व्यक्तियों की मुखबीरी किये जाने की विशेष कार्य योजना बनाई जायेगी।

c. 24 घण्टे निगरानी रखे जाने की दृष्टि से निगरानी दलों को वाहन एवं अन्य संसाधन उपलब्ध कराये जायेंगे।

d. बॉर्डर जिलों में इस कार्यवाही का प्रभावी बनाये रखने के लिये जोन स्तर पर आई जी रेन्ज की अध्यक्षता में मॉनिटरिंग कमेटी बनाई जायेगी । इसमें कमेटी में आबकारी विभाग, पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारी सम्मिलित रहेंगे।

e. निकटवर्ती राज्यों के साथ संयुक्त कार्यवाही : निकटवर्ती राज्यों की आबकारी नीतियों जिनके कारण राजस्थान में शराब की तस्करी को बढ़ावा मिलता है, के सम्बन्ध में सरकार के स्तर से इन राज्यों की सरकार के साथ संवाद स्थापित कर शराब की तस्करी पर नियंत्रण हेतु प्रयास किये जायेंगे।

(11) **शुष्क दिवस :**

वर्तमान में निर्धारित पांच शुष्क दिवस गणतंत्र दिवस, महात्मा गांधी की पुण्य तिथि 30 जनवरी, महावीर जयंती, स्वाधीनता दिवस एवं गांधी जयंती है, इन शुष्क दिवसों पर मदिरा दुकानें बन्द रखने के लिये कड़ाई से कार्यवाही की जायेगी।

(12) **आबकारी विभाग के सुदृढ़ीकरण के प्रस्ताव :**

(i) **प्रयोगशालाओं का मानकीकरण (N.A.B.L. Accredition) :** राज्य में आबकारी विभाग में जोन स्तर पर 6 प्रयोगशालायें कार्यरत है जिनमें मदिरा एवं अन्य मादक पदार्थो के नमूनों की जॉच की जाती है। इन प्रयोगशालाओं द्वारा की गई जॉच की गुणवत्ता में वृद्धि करने के लिये उक्त प्रयोगशालाओं का चरणबद्ध रूप से N.A.B.L. Accredition करवाये जाने का निर्णय लिया गया है। वित्तीय वर्ष 2014–15 में इस कार्य हेतु उदयपुर एवं जोधपुर स्थित आबकारी प्रयोगशालाओं को लिया जायेगा।

(ii) **निरोधक दल हेतु राजकीय वाहनः** विभाग में निरोधक दल हेतु 195 किराये के वाहन स्वीकृत है, परन्तु विभाग की कार्य की विशेष प्रकृति के कारण समुचित संख्या में किराये के वाहन मिलने में कठिनाई आ रही है । अतः किराये के वाहनों

के स्थान पर आगामी दो वित्तीय वर्ष में 25–25 राजकीय वाहन स्वीकृत प्रदान की जाती है।

(iii) विभाग ने गत वर्षो में पारदर्शिता लाये जाने हेतु हाई–वोल्यूम सर्विसेज (High-Volume Services) यथा स्प्रिट आयात एवं परिवहन स्वीकृति तथा ऑडर फार सप्लाई (OFS) जारी करने की प्रक्रिया को (End to End) ऑनलाइन किया गया है एवं वर्तमान में उक्त स्वीकृतियॉ ऑनलाईन डिजीटल सिग्नेचर (Digital Signature) के द्वारा जारी की जा रही है। इसके अतिरिक्त निम्न कार्यवाही किये जाने का निर्णय लिया गया है:–

a. वित्तीय वर्ष 2014–15 में रिटेल ऑन अनुज्ञा हेतु आवेदन प्राप्त करने से स्वीकृति जारी करने एवं नवीनीकरण करने तक की सम्पूर्ण कार्यवाही को ऑनलाइन किया जायेगा ।

b. इसी प्रकार राजस्थान स्टेट बेवरेज कारपोरेशन द्वारा प्राइस अप्रुवल की प्रक्रिया को भी आवेदन से स्वीकृति तक की प्रक्रिया को ऑनलाइन किया जायेगा।

(13) आबकारी बन्दोबस्त मद्यसंयम एवं शुष्क दिवसों के संबंध में अन्य प्रावधान/प्रक्रिया/व्यवस्था पूर्व नीति के अनुरूप यथावत रखे जायेंगे।

(प्रवीण गुप्ता)
शासन सचिव
वित्त (राजस्व) विभाग
31/1/XIV